आर. ई. ओ. 40

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अ.अ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 1578 दिनांक 24/10/02

आदेश

निगम के परिपत्र क्रमांक / जोविविनिलि / अआपीपीएम / फा सा / प्रे संख्या 359 दिनांक 10.5.2002(आर.ई.ओ.12) के द्वारा जारी कृषि नीति के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार सामान्य एवं स्पेशल स्कीम के जिन आवेदकों के 11 के.वी. के वी.आर. 8 प्रतिशत की सीमा से अधिक है, उनके मांग पत्र जारी नहीं करने के निर्देश जारी किये हुये है।

चूंकि सामान्य श्रेणी के आवेदन "कट–आफ–डेट" की वरीयता में 10–12 साल का समय लग जाता है तथा वरीयता में आने के बाद भी 11 के.वी. आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने के कारण कनेक्शन नहीं हो सकता,इसलिए इन आवेदकों की कठिनाईयों को ध्यान मे रखते हुये वर्ष 2002–2003 तक "कट–आफ–डेट" में आने वाले साधारण श्रेणी के आवेदकों को (पूर्व में अस्थाई पेन्डिग रखे गये आवेदनों सहित) 8 प्रतिशत से अधिक वी.आर.की लाईनों पर मांग पत्र जारी कर कनेक्शन जारी कर दिये जाये। यह सुविधा अकाल की परिस्थितियों के कारण प्रदान की जा रही है।

(एच0एस0देवडा)
उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर

जे / पी